

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'पंद्रह'

प्रश्न सं. [क. 2377]

[26/7/2017]

परिशिष्ट - "अ"

पा. प्र. क्र. - 2377

वाहन अनुबंध शर्तें निविदा शर्तों के अनुसार हैं। वाहन से संबंधित प्रमुख शर्तों का सार निम्नानुसार हैः—

1. गाड़ी 24 घण्टे ड्यूटी पर रहेंगी। (निविदा की शर्त क्रमांक 3.11 एस.एल.ए. बिन्दु क्रमांक-9)
2. गाड़ी सार्वजनिक स्थानों पर तैनात रहेंगी। (निविदा की शर्त क्रमांक 4.4 बिन्दु क्रमांक-5)
3. प्रत्येक गाड़ी में 3 ड्रॉयवर होंगे। (निविदा की शर्त क्रमांक 3.23.2)
4. सभी ड्रॉयवर निर्धारित गणवेश में ड्यूटी पर रहेंगे। (निविदा की शर्त क्रमांक 4.4 बिन्दु क्रमांक-3)
5. गाड़ी का किराया मार्च 2020 तक के लिये फिक्स है। निविदा में उद्धृत किराया राशि में निविदा के समय लागू टैक्स (सर्विस टैक्स @12.36% एवं VAT @13%) सम्मिलित है। भविष्य में टैक्स में परिवर्तन का समायोजन होगा। (निविदा की शर्त क्रमांक 3.10 बिन्दु क्रमांक -x एवं सेक्षन- IV)
6. गाड़ी का मेन्टेनेन्स कम्पनी को ही करना होगा इसमें टायर, ट्यूब, बैटरी, मरम्मत, कॉच बदली सब कुछ शामिल होगा। (निविदा की शर्त क्रमांक 4.4 बिन्दु क्रमांक-5)
7. गाड़ी का बीमा कराने की जिम्मेदारी कम्पनी की होगी। (निविदा की शर्त क्रमांक 4.4 बिन्दु क्रमांक-4)
8. गाड़ी में डीजल और अन्य ऑयल डलवाने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। डीजल का भुगतान बाद में बिल पेश करने पर होगा।(निविदा की शर्त क्रमांक 3.8.2 बिन्दु क्रमांक-5)
9. गाड़ी का एवरेज A.R.A.I. द्वारा निर्धारित एवरेज (14 कि.मी. प्रति लीटर) में 15% की छूट के साथ निर्धारित होगा (जो कि 11.9 कि.मी. प्रति लीटर होता है) चाहे वास्तव में गाड़ी का एवरेज कितना भी कम आये यदि कम्पनी ने ज्यादा डीजल खर्च किया है तो भी भुगतान निर्धारित एवरेज से ही होगा। शेष डीजल का भुगतान कम्पनी को ही वहन करना होगा। (निविदा की शर्त क्रमांक 3.8.2 बिन्दु क्रमांक-5)
10. माह में गाड़ी की उपलब्धता 95% या उससे ज्यादा होनी चाहिए यानि कि 30 दिन में 28.5 दिन गाड़ी ड्यूटी पर रहना चाहिए शेष 1.5 दिन मेन्टेनेन्स के लिए रह सकती है 95% से कम रहने पर प्रतिदिन की दर से कटौती तथा रु. 100 प्रतिदिन पेनाल्टी लगेगी।
(निविदा की शर्त क्रमांक 3.11 एस.एल.ए. बिन्दु क्रमांक-9)
11. वाहनों के संचालन हेतु पर्यवेक्षक स्टॉफ (1 फ्लीट हैड, 4 असिस्टेट मैनेजर, 51 जिला प्रभारी कंपनी को तैनात करने होंगे। इनके वेतन भत्तों की राशि पृथक से नहीं दी जावेगी (यानि कि उद्धृत किराये में ही शामिल होगी।) (निविदा की शर्त क्रमांक 3.23.2)
12. सभी वाहन नये होंगे और निविदा दाता के नाम पंजीकृत होंगे। (यानि कि निविदादाता पुराने वाहन या बाजार से वाहन किराये पर लेकर डॉयल-100 में नहीं लगा सकेगा। इसका यह भी आशय है कि सभी वाहन टैक्सी के तौर पर परिवहन विभाग में पंजीबद्ध होंगे। (निविदा की शर्त क्रमांक 4.4 बिन्दु क्रमांक-1)

13. वाहन के ड्रायवर को F.R.V. के दायित्वों का एवं इसमें लगाये गये उपकरणों के संचालन का विशेष प्रशिक्षण दिया जावेगा। (निविदा की शर्त क्रमांक 4.5 बिन्दु -कैपेसिटी बिल्डिंग एवं ट्रेनिंग)
14. प्रति वाहन प्रतिमाह किराया रु. 68,500/- (13% VAT एवं 12.36% सर्विस टैक्स शामिल) है। टैक्स में परिवर्तन पर तदानुसार देय राशि समायोजित की जाती है।
15. सभी कानूनों का पालन करना होगा। (यानि कि चालकों से ड्यूटी के विषय में श्रम कानूनों का पालन जैसे पी.एफ. देना, मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों जैसे टैक्स भुगतान, वाहन फिटनेस कराना आदि)

अमृतभाब अधिकारी
मध्यप्रदेश सारका,
गृह (पुलिस) विभाग

Amritbhanu
11/07/2017
संकेत
कानून पुलिस विभाग
गृह पुलिस

MP POLICE (R)

वाहनों में लगे उपकरण की सूची

S. No.	COMPONENT
1	Beacon Light & Siren
2	PA System
3	AVLS (GPS) System
4	GPS
5	Basic First Aid Box
6	Mobile Data Terminals
7	Basic Mobile Phone with SIM (Number Activation) yes
8	SIM Card for Mobile Phone and MDT
9	Fire Extinguisher
10	Dry Cell Torch
11	Necessary tools for vehicles
12	10 m large rope
13	Mobile Charging points
14	Necessary battery pack for equipment
15	The extraction kit should consist of following:
16	1. 12" Screw Driver Standard Square Bar
17	2. 8" Screw Driver Philips Head
18	3. Hacksaw with 12" Carbide Wire Blade
19	4. Vise Grip Pliers 10"
20	5. 5lb Hammer with 15" Handle
21	6. Fire Axe Butt 24" Handle
22	7. Wrecking Bar with 24" Handle
23	8. 51" Crowbar Pinch Point
24	9. Bolt Cutter with 1" To 1/4" Jaw Opening
25	10. Shovel Pointed Blade
26	11. Tin Snips, Double Action 8" Minimum
27	12. Ropes 5400lb Tensile Strength in 50' Length in Bag
28	13. Mastic Knife
29	14. Spring Load Center Punch
30	15. Pruning Saw
31	<ul style="list-style-type: none"> • Installation of necessary fenders and protecting equipment on the system based on the design proposed by the bidder as part of its bid
32	<ul style="list-style-type: none"> • Dial 100 branding of MP Police (Stickers) approved by MP Police
33	<ul style="list-style-type: none"> • Installation of hooks, clips etc. to hang/fasten baton cane, shield, helmet etc.
34	Police Wireless System

अनुभाग संचयकारी
मध्यप्रदेश शासन,
गृह (पुलिस) विभाग

11/07/2017
प्रमाणित

श. प. अधिकारी
श. प. अधिकारी